न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं0–18, इलाहाबाद।

दिनांक–13.08.2022

पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। अभियुक्त द्वारा कथन किया गया कि वह स्वेच्छया जुर्म स्वीकार करना चाहता है। अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया। जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा–34, पुलिस एक्ट के अन्तर्गत दोष सिद्ध किया जाता है। अभियुक्त को धारा–34 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत 20/–(बीस) रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त एक दिन के साधारण कारावास का भोगी होगा।

(मुकेश यादव)
यू0पी0 2113
ए0सी0जे0एम0–18,
इलाहाबाद।